न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
9/2020	07.07.2020	23.02.2021

अनवान

1. भगवानलाल पिता गंगाराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

प्रार्थी

बनाम

1. लोभचंद पिता गंगाराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
2. भैरू पिता लालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
3. उदयलाल पिता माला जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
4. हीरालाल पिता माला जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
5. हीरालाल पिता चम्पा जाति नाई आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
6. किशोर पिता उदा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी थेपडिया का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
7. कालु पिता मोहन जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी थेपडिया का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री रोशनलाल जाट — प्रार्थी

एक तरफा — अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:46:52 IST
Reason: SelfAttested

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा उमण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 136 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1077, 1078, 1080 कृषि भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण हो जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.02.2021 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। इस पर हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा उमण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 136 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1077, 1078, 1080 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:46:52 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन